पुराने प्रस्तावों में संसोधन अगस्त 1980 के

1. सभी प्रवासी बन्धु भ्रातृ मंडल के सदस्य माने जायेंगे।
2. जो दिल्ली आवास के बाद नौकरी लगने के एक साल पूरा कर लेगा उसे भ्रातृ मंडल की सदस्यता स्वीकार करनी अनिवार्य होगी।
3. मंडल के सदस्य को ऋण केवल उसकी आर्थिक मजबूरी के कारण ही दिया जायेगा।
4. ऋण केवल सदस्य की लड़की की शादी हेतु ही दिया जायेगा चाहे वह गाँव में हो अथवा दिल्ली में। ऋण पर ब्याज 1% मासिक होगा।
5. लड़की की शादी हेतु भ्रातृ मंडल प्रति मुआवजा Rs. 11/- (ग्यारह) रुपया जमा कर कोई सामान लड़की को कन्यादान में देगा। जो पहले 5/- रुपया प्रति सदस्य जमा होता था। यह नियम केवल दिल्ली प्रवास में होने वाली शादी पर ही लागू होगा।
6. शेष नियम पूर्ववत ही रहेंगे।

धन्यवाद

सचिव [signature]

15/8/80